संख्या– 714/49–1–10–1(19)/93

प्रेषक,

वहीद उल्लाह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक 25 जून,2010

विषयः– सहकारी संस्थाओं की अंशपूॅजी के लिये नाबार्ड से प्राप्त ऋण के सापेक्ष नाबार्ड को देय ब्याज का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010–11.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक– 176/लेखा–अ दिनॉक 11–06–10 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी संस्थाओं की अंशपूॅजी में शासन द्वारा अंशदान के लिये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नेशनल एग्रीकल्चरल केडिट (लॉंग टर्म आपरेशन) फण्ड से लिये गये ऋणों पर दिनॉक 30–06–2010 को समाप्त होने वाले तिमाही के लिये नाबार्ड को दिनॉक 29–06–2010 को देय त्रैमासिक ब्याज की धनराशि रू0 18,89,224.00(रू0 अट्ठारह लाख नवासी हजार दो सौ चौबीस मात्र) का भुगतान किये जाने हेतु रू0 18,89,224.00(रू0 अट्ठारह लाख नवासी हजार दो सौ चौबीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि के आहरण एवं वितरण हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है। कृपया उक्त धनराशि का आहरण करके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लखनऊ को तुरन्त भुगतान कराने का कष्ट करें।

3– कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि नाबार्ड द्वारा चार्ज की गयी धनराशि वांछनीय है।

4– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में कृषि तथा सम्बद्ध विभाग(सहकारिता) की अनुदान संख्या–18 के लेखाशीर्षक "2049–ब्याज अदायगियॉ–आयोजनेत्तर–01–आन्तरिक ऋणों पर ब्याज–200–अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज–04 –भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से प्राप्त ऋणों पर ब्याज–32–ब्याज/लाभांश(भारित)" के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–बी–3/यू0ओ0– 250/ –2010 दिनॉक 23 जून,10 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन

भवदीय,

(वहीद उल्लाह)
संयुक्त सचिव।

2/–

संख्या– 714 (1)/49–1–09 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उ0प्र0,इलाहाबाद।

2– मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त धनराशि का बिल प्रस्तुत होने पर उसके आहरण हेतु आदेश तुरन्त प्रदान करने का कष्ट करें।

3– मुख्य लेखाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें,उ0प्र0,लखनऊ।

4– मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक,11–विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ।

5– वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–3/4

6– वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2

7– सहकारिता अनुभाग–3

8– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।

16/8/10

आज्ञा से,

(वहीद उल्लाह)
संयुक्त सचिव।

एफ0एस0 13